



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245347
CG-DL-E-22042023-245347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1745]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

No. 1745]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2023

का.आ. 1827(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1505 (अ), दिनांक 14 मई 2020 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-785 के 0+000 किमी से 61+115 किमी के खंड (मदुरै-चेट्टिकुलम-नाथम-थुवरनकुरिची खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिल नाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-785 (मौजूदा किमी 3+400 (पहले एसएच-38) से किमी 59+950 (एनएच-38) तक) के मदुरै-चेट्टिकुलम-नाथम-थुवरनकुरिची खंड के डिजाइन किलोमीटर 0+000 किमी से 61+115 किमी तक सड़क खंड की निवल लंबाई 45.540 कि.मी.(चार या इससे अधिक लेनों के प्रयोग हेतु) और 69.350 कि.मी (जिनकी लंबाई 6.935 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ(2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और बाईपास जिनकी लंबाई 8.640 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ(1)में विनिर्दिष्ट वाहनो पर आधार दर के 1.5 गुणा पर शुल्क उद्धृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिया जाने वाला एवं संग्रहीत किया जाने वाला शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं)के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तमिलनाडू राज्य के डिंडुगुल जिले में पुडुर गाँव के पास एनएच-785 के 21+020 किमी पर	45.540 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी – 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	बाईपास का नाम	आरंभ होते हुए	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लम्बाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तमिलनाडू राज्य के डिंडुगुल जिले में पुडुर गाँव के पास एनएच-785 के 21+020 किमी पर	एनएच-785 के नाथम बाईपास	डिजाइन कि.मी. 32+760 (वर्तमान में 35+784 किमी)	डिजाइन कि.मी. 41+400 (वर्तमान में 04+765 किमी (एमडीआर -644)	8.640	112.609	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तमिलनाडू राज्य के डिंडुगुल जिले में पुदुर गाँव के पास एनएच-785 के 21+020 किमी पर	6.935 [^]	69.350	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]ब्योरा इस प्रकार है:

चैनेज		ढांचे का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक		
0+125	7+060	फ्लाई ओवर (मदुरै-चेट्टिकुलम एलिवेटेड कॉरिडॉर)	6.935
कुल			6.935

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/-रुपए (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के

बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दर प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2089.75 करोड़ रुपए है। (पूँजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं।) अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फ़ा. सं. एनएचएआई/पीआईयू/एमडीयू/एनएच-785/शुल्क अधिसूचना/2022/ई-214264]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2023

S.O. 1827(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1505(E) dated the 14th May 2020, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0+000 to km 61+115 (Madurai – Chettikulam- Natham - Thuvankurichi section) of National Highway number 785 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred, to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 45.540Km (for the use of four and more lane section) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 69.350 Km (having length 6.935 Km) and at 1.5 times of the base rate for bypasses having length of 8.640 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column of the Table 1 below of Madurai – Chettikulam- Natham - Thuvankurichi section from design Km.0+000 to Km.61+115 of National Highways number 785 [existing Km.3+400 (old SH-38) to Km.59+950 (NH-38)] in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely:-

Table 1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment(EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely:-

Table 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km.21+020 of NH-785 near Pudur Village in Dindigul District of State Tamil Nadu	45.540 (Excluding length Bypass costing > 10Cr. & Length of Structures More than 60m)	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 Cr. or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of theBypass	Taking Off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at whichfee is payable
				Length (Km)	Cost (Cr)	
At Km.21+020 of NH-785 near Pudur Village in Dindigul District of State Tamil Nadu	Natham bypass of NH 785	Design Km.32+760 (Existing Km.35+784)	Design Km.41+400 (Existing Km.04+765 (MDR-644)	8.640	112.609	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km.21+020 of NH 785 near Pudur Village in Dindigul District of State Tamil Nadu	6.935^	69.350	100% for four and more Lane, of the base rates mentioned in table-1 above

^The details are as under;

Chainage		Type of Structure	Length in Km.
From Km	To Km		
0+125	7+060	Fly-over (Madurai-Chettikulam Elevated Corridor)	6.935
		Total	6.935

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.315.00 (Rupees Three Hundred and Fifteen only) for the year 2022-23, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub- rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc., shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2089.75 Crore. [The capital cost is subject to variation as the land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU/MDU/NH-785/TollNotification/2022/E-214264]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.